भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 5098

04.04.2022 को उत्तर के लिए

फील्ड वेरीफिकेशन के लिए अधिकारियों की कमी

5098. श्री सुधीर गुप्ता :
श्री संजय सदाशिवरव मांडलिक :
श्री प्रतापराव जाधव :
श्री बिद्युत बरन महतो :
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे :
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हरित कानूनों के तहत फील्ड वेरीफिकेशन हेतु अधिकारियों की भारी कमी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या मंत्रालय के पास गत पांच वर्षों के दौरान अधिकारियों की कमी के कारण पर्यावरण और वन मंजूरी हेतु बड़ी संख्या में परियोजनाएं लंबित हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरित कानूनों के तहत फील्ड वेरीफिकेशन के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों पर अधिक बोझ है, जिन्हें एक वर्ष में हजारों परियोजना स्थलों का दौरा करना होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा वर्तमान अधिकारियों के बोझ को कम करने और पर्यावरण और वन मंजूरी से संबंधित कार्य में तेजी लाने हेतु और अधिक अधिकारियों की भर्ती के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य प्राधिकरणों को परियोजनाओं की वन/पर्यावरणीय मंजूरी देने की शक्ति सौंपने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ङ) इस मंत्रालय द्वारा विभिन्न हरित कानूनों के तहत अनुमोदन प्रदान किया जाना एक गतिशील प्रक्रिया है तथा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन प्रदान किए जाने में लगने वाला समय, विभिन्न कारकों और प्रयोक्ता अभिकरणों द्वारा उपलब्ध कराए गए ब्यौरे पर निर्भर करता है। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अनुमोदनों से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करने और आवश्यक क्षेत्रीय निरीक्षण करने के लिए पर्याप्त अधिकारी और कर्मचारी मौजूद हैं।

इस मंत्रालय ने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत दिए गए अनुमोदनों में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुपालन की प्रभावी निगरानी करने के लिए एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालयों (आईआरओ) की संख्या को 10 से बढ़ाकर 19 कर दिया है।

इसके अलावा, उक्त अधिनियमों के तहत अनुमोदन प्रदान करने की प्रक्रिया ऑन-लाइन वेब पोर्टल - **परिवेश** के माध्यम से पूर्ण की जाती है जिसके फलस्वरूप पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) संबंधी अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाला समय वर्ष 2019 में 189 दिनों से कम होकर वर्ष 2021 के दौरान 75 दिन हो गया है तथा वन स्वीकृति (एफसी) संबंधी अनुमोदन प्रदान करने में लगने वाला समय गत 7 वर्षों में 350 दिनों से घटकर 188 दिन हो गया है।

****